भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1140
जिसका उत्तर सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक) को दिया गया

एलआईसी पॉलिसीधारकों के लिए बोनस बढ़ाने हेतु कदम

1140. श्री परषोत्तमभाई रुपाला:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एलआईसी के भीतर कर्मचारियों और शाखाओं के कार्यभार का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) एलआईसी में सतर्कता प्रणाली को बढ़ाने और किसी संभावित हेर-फेर को रोकने के लिए निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) एलआईसी के नीतिगत दस्तावेज में यह उल्लेख न करने के क्या कारण हैं कि एलआईसी द्वारा जारी प्रत्येक पॉलिसी एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 37 के अनुसार सरकार की संप्रभु गारंटी द्वारा समर्थित है;

(घ) अनुत्पादक लागतों को कम करने के लिए एलआईसी द्वारा क्या उपाय किए गए हैं और वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर इन खर्चों की निरंतर निगरानी के क्या कारण हैं; और

(ङ) सभी पॉलिसीधारकों के लिए बोनस बढ़ाने हेतु एलआईसी द्वारा क्या पहल की गई है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): एलआईसी एक बोर्ड अभिशासित वाणिज्यिक संस्था है जो प्रतिस्पर्धी और विनियमित वातावरण में काम कर रही है और इसमें सभी कर्मचारियों के लिए एक सुदृढ़ कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रणाली है। इसके अलावा, एलआईसी द्वारा प्रत्येक कर्मचारी के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन वित्तीय वर्ष के आरंभ में निर्धारित मुख्य कार्यनिष्पादन संकेतकों (केपीआई) के माध्यम से किया जाता है और वर्ष में दो बार इसकी समीक्षा की जाती है। सरकार द्वारा नियमित अंतरालों पर एलआईसी के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की जाती है।

(ख): एलआईसी किसी भी संभावित धोखेबाज़ी को रोकने के लिए निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सीवीसी दिशानिर्देशों का पालन करता है। एलआईसी द्वारा *अन्य बातों* के साथ-साथ औचक जांच, लेखा परीक्षा, निरीक्षण, अचल/चल आस्तियों संबंधी विवरणियों की जांच, सामग्रियों और सेवा संविदाओं की खरीद की समीक्षा आदि की जाती है। निवारक सतर्कता समिति और धोखाधडी निगरानी समिति जैसी समितियां पहले से ही मौजूद हैं।

(ग): एलआईसी जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956, बीमा अधिनियम, 1938, इरडाई (भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण) अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के तहत अभिशासित है। जबकि, एलआईसी का पॉलिसी दस्तावेज बीमाकर्ता और पॉलिसीधारक के बीच पॉलिसी की पूरी अवधि /शर्त का एक संविदा है। तथापि, सभी पालिसियों द्वारा बीमित राशि, जिसमें उनके संबंध में घोषित बोनस भी शामिल है, जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा 37 में दर्शाए गए अनुसार सरकार की संप्रभु गारंटी द्वारा समर्थित है।

(घ): बजट समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है और प्रबंधन के व्यय (ईओएम) की आईआरडीएआई ईओएम विनियमों के अनुसार निगरानी की जा रही है। इसके अलावा, एलआईसी ने खर्चों को कम करने के लिए सौर पैनलों, एलईडी, सेंसर द्वारा परिचालित स्विच लगाने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकांश बैठकों और प्रशिक्षणों का आयोजन करने जैसे उपाय किए हैं।

(ङ): देय बोनस मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुसार वार्षिक बीमांकिक जांच के परिणामस्वरूप सृजित अधिशेष पर निर्भर करता है। एलआईसी रिस्क रिवार्ड बैलेंस सुनिश्चित करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली आस्तियों में निवेश सुनिश्चित करके इष्टतम प्रतिलाभ सृजित करने का प्रयास करता है, जिसकी समीक्षा एलआईसी की निवेश समिति द्वारा भी की जाती है।

******